न्यायालय-अमनदीप्रसिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

<u>आप0 प्रकरण क—509/2015</u> संस्थित दिनांक 22.06.2015 फा.नं.234503005832015

मध्यप्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)

.....अभियोगी

विरुद्ध

- 1.शनि यादव पिता श्यामलाल यादव, उम्र—21 वर्ष, निवासी नरसिंहटोला वार्ड नं.4, बैहर (पूर्व से निर्णित)
- 2.प्रकाश नायक पिता दौलतसिंह बंजारा, उम्र—19 वर्ष, निवासी कंपाउण्डरटोला वार्ड नं.12, बैहर(पूर्व से निर्णित)
- 3. संजू उर्फ संजय पिता गुहदड़ बघेल, उम्र—30 वर्ष, निवासी नरसिंह टोला वार्ड नं.4, बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) (पूर्व से निर्णित)
- 4.महेश यादव पिता लामू यादव, उम्र—32 वर्ष, निवासी आबकारीटोला वार्ड नं.12, बैहर

.....अारोपीगण

—:: <u>निर्णय</u>::— (आज दिनांक 04/12/2017 को घोषित)

- 01. आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324, 506(भाग—2) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक 03.03.2014 को समय 23:00 बजे अंतर्गत ग्राम नरिसंहटोला, महेश और राजकुमार के घर के बीच थाना बैहर में प्रार्थी विक्कीसिंह को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित कर सह आरोपीगण ने सामान्य आशय का अग्रसरण कर आहत विक्कीसिंह को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया, आरोपी महेश यादव ने आहत विक्कीसिंह को लोहे की राड से सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया तथा फरियादी विक्कीसिंहह को भयभीत करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02. संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक 03.03.14 को प्रार्थी विक्कीसिंह इसाई शाम 6:00 बजे रमेश यादव के यहाँ बारसे के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। नाच-गाने के बाद प्रार्थी ने खाने के संबंध में पूछा तो महेश यादव ने खाना नहीं है, कहकर साले, मादरचोद की गाली देकर राड से सिर पर मारा एवं संजू, प्रकाश, शनि ने हाथ-मुक्कों से मारपीट किये एवं जान से मारने की धमकी दिये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना

में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया जाकर जमानत—मुचलके पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान क्रमांक 90 / 14 दिनांक 30.06.17 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03. आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 324, 506(भाग—2) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादी/आहत विक्कीसिंह ने आरोपीगण से राजीनामा कर लिया, जिस कारण आरोपीगण संजू उर्फ संजय, प्रकाश नायक, शिन यादव तथा महेश यादव को शमनीय प्रकृति की धारा—294, 323/34, 506(भाग—2) के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया गया तथा आरोपी महेश यादव के विरूद्ध धारा—324 भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04. आरोपी के विरूद्ध निम्न बिन्दू विचारणीय है:-

01. क्या आरोपी महेश यादव ने दिनांक 03.03.2014 को समय 23.00 बजे अंतर्गत ग्राम नरसिंगटोला में महेश और राजकुमार के घर के बीच थाना बैहर में आहत विक्कीसिंह को लोहे की राड से सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

फरियादी / आहत विक्कीसिंग अ.सा.०१ का कथन है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब तीन वर्ष पूर्व शाम के समय रमेश यादव के यहाँ ग्राम नरसिंगटोला की है। वह घटना के समय बारसे के कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वहां पर खाने की बात को लेकर मौखिक वाद-विवाद हो गया था। उसने घटना की रिपोर्ट नहीं की थी। उसने पुलिस की बयान नहीं दिया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि रमेश यादव के यहां बारसे के कार्यक्रम में शामिल होने गया था, नाच-गाने के बाद महेश से खाने के संबंध में पूछा तो खाना नहीं है, बोला किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि तभी महेश ने बकरचोदी करता है, कहकर मादरचोद बोलकर लोहे की रॉड से उसके मस्तक पर मारा, उसी समय सनी, संजू, प्रकाश आये और मारपीट किये और मादरचोदी करेगा तो जान से मारने की धमकी दिये। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रदर्श पी—1 पुलिस को न देना व्यक्त किया। पुलिस ने कैसे लिखा कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-2 लिखाई थी, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.02 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है, उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था, मौका–नक्शा प्रदर्श पी–3 के अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उसे लोहे की रॉड से मस्तक पर मारा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे प्रदर्श पी-2, पी-3 के कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराये थे।

- 06. फरियादी विक्कीसिंग अ.सा.01 ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में उसका आरोपी महेश यादव से राजीनामा हो गया है। फरियादी विक्कीसिंग अ.सा.01 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में अभियुक्त महेश यादव के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी विक्कीसिंह को लोहे की राड से सिर पर मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की। अतः अभियुक्त महेश यादव को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 07. अभियुक्त महेश यादव के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 08. प्रकरण में अभियुक्त महेश यादव न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

सहा / — बड़ा) (अमनदीपसिंह छाबड़ा) ोहर न्या.मिज.प्र.श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट